

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 755/2026

Purushottam Son Of Jagannath @ Ramnath, Aged About 51
Years, Resident Of Kotdi, (Patheda), Police Station Sadar Baran,
Tehsil And District Baran (Raj.)
(At Present In Central Jail, Kota)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Mahesh Gupta, Adv.
For Respondent(s)	: Mr. Sudesh Saini, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

05/05/2026

1. In S.B. Cri. Revision Petition No. 755/2026:-

प्रकरण चार सप्ताह पश्चात् सूचीबद्ध किया जावे।

2. In Criminal Misc. (SOS) Appl. No. 199/2026:-

प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत सजा स्थगन/जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

प्रार्थी-अभियुक्त को विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां ने नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या 21/2018 में पारित निर्णय 28.03.2023 के तहत धारा 420 भा.दं.सं. के अपराध में अधिकतम 03 वर्ष के साधारण कारावास व अर्थदण्ड से दंडित किया था, जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर विद्वान अपीलीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां के द्वारा फौजदारी अपील संख्या 50/2023 में पारित निर्णय 09.04.2026 के

माध्यम से याची को धारा **420** भा.दं.सं. के संबंध में विद्वान अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश को यथावत रखा।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त का कथन रहा कि अभियुक्त वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। निगरानी याचिका के विचारण में समय लगेगा, अतः सजा स्थगन आवेदन को स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य लोक अभियोजक ने सजा स्थगन आवेदन का विरोध किया।

समस्त तथ्यों पर विचार किया गया। प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों, अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा तथा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-याची द्वारा सजा स्थगन प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तर्कों, पुनरीक्षण याचिका के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रार्थी-अभियुक्त **पुरुषोत्तम पुत्र जगन्नाथ उर्फ रामनाथ** की ओर से विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्ट अपराध में अधिरोपित सम्पूर्ण अर्थदण्ड की राशि विचारण न्यायालय में जमा कराये जाने की पूर्ववर्ती शर्त पर स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी-अभियुक्त इस न्यायालय में दिनांक **08.06.2026** को एवं तत्पश्चात जब भी उसे आदेशित किया जावे, अपनी उपस्थिति हेतु, **एक लाख रूपए** का बन्ध-पत्र एवं **पचास-पचास हजार रूपए** की दो प्रतिभूतियां विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत करे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे एवं विद्वान विचारण न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय क्रमशः दिनांकित **28.03.2023** तथा **09.04.2026** के तहत कारावास की सीमा तक दिए गए **“दण्डादेश”** का क्रियान्वयन इस पुनरीक्षण याचिका के निर्णीत होने तक स्थगित रखा जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J